

# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या- 34/2017

बउनवान

राधेश्याम उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल जाति-गुर्जर निवासी तिसाया  
तहसील बारां, जिला-बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री बालमुकुन्द गुर्जर, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक- 27.03.2019

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 11.04.2016 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-तिसाया, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 1198 रकबा 1.40 हैक्टर किस्म-चारागाह पर अतिक्रमी मानकर बेदखली, 700/-रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का सही ढंग से गौर नहीं किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। उक्त वर्णित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.04.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों के विपरीत हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व पत्रावली का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड़ रखा में उक्त आराजी पडत पडी हुई है तथा अपीलांट उक्त आराजी पर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सही अवलाकन नहा किया गया है। अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया है।

मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के ही

भविष्य में कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। बकाया तावान राशि भी जमा करा दी गयी है। साथ ही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.04.2016 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 363/13 निर्णय दिनांक 14.03.2013 से भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह भूमि है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1198 रकबा 1.40 है0 ग्राम तिसाया पर पूर्व में मिसल नम्बर 363/13 निर्णय दिनांक 14.03.2013 से भी बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 359/16 में पारित आदेश दिनांक 11.04.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



सही अवलोकन नहीं किया गया है। अपीलांट को बेदखल नहीं किया गया है। मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट को ही आधार मानकर अपीलांट को दोषी